रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-27 REGISTERED No. D.(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 557] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 1978/अग्रहायण 29, 1900
No. 557] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 1978/AGRAHAYANA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1978

का. आ. 718 (अ)./18चख/आई. डी. आर. ए./78.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 826 (अ)/18 चख/आई. डी. आर. ए/76, तारीख 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार, ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (जो उन दायित्वों से, जो भारतीय स्टेट बैंक के प्रति उतनी रकम तक के दायित्वों से भिन्न हैं, जितनी रकम महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नकद-उधार सीमा (क्लीन कैश क्रेडिट लिमिट) में से बकाया है, और जो नगद उधार खाते (साधारण) [(कैश क्रेडिट एकाउन्ट (आर्डिनरी)] में से मिल द्वारा, उस सीमा तक जिस सीमा तक वे चालू आस्तियों के अन्तर्गत आती हैं, निकाली गई धनराशि से भिन्न हैं), जिनका कि मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हैं, प्रवर्तन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 22 दिसम्बर, 1978 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 22 दिसम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है।

[फा. सं. 10/28/75-सी एस एम]

आर. रामकृष्णा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th December, 1978

S.O. 718(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S. O. 826(E)/18FB/IDRA/76, dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order [other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amount outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets] to which the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 22nd December, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 22nd December, 1979.

[File No. 10/28/75-CSM]

R. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978